


72
23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे डा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियम पृथक से लिखा कर जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से रुम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
डुकम की तामील
में जारी हुए

प्राथना अधिकारी- नारायण लाल राजगुप्त (आर0ए0एस0)

पत्र संख्या- 191/22 प्राणपत्र

सी 61/2 5/0 उदा जाट निवासी- बाप्या की रपेड़ी तहसील- मांडल

-प्राथी

पनाम

सी 61/2 5/0 उदा जाट निवासी- बाप्या की रपेड़ी तहसील- मांडल (गोगा)
(संबंधित प्राणपत्र संलग्न)

-विपक्षीय

प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राभूरा अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

मैं और से एक प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राभूरा अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि मैं बाप्या की रपेड़ी पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं 2360/3, 2361/2 कुल कित्ता 02 रकबा 1.8337 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा विन्ध नहीं होने से आये गी संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की मे के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्राथना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.12.22 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को निर्या से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का है। केवल भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अंत इन तथ्यों को देखते गिक की न्यायिक शिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्राथना पत्र धारा 111-128 राभूरा अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बाप्या की रपेड़ी पटवार बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 2360/3, 2361/2 कित्ता 02 रकबा 1.8337 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी न हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख बागोर को 700/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पत्थरगढी की जायें। पत्थरगढी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी